

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10371/1539

दिनांक : 11/10/2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diverision of 0.1785 ha. of forest land for access of permission for transportation of
mining area at village Khanak, under Forest Division and Distt Bhiwani, Haryana

Online Proposal No FP/HR/Approach/146575/2021

संदर्भ :आपका पत्र क्रमांक 9-HRB129/2022-CHA दिनांक 26.07.2023 ।

उपरोक्त संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में व0म0अ0 भिवानी के पत्र क्रमांक 722 दिनांक
15.07.2024 द्वारा प्राप्त ATR की प्रति अनुलग्नकों सहित आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
संलग्न/उपरोक्त ।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला ।

11/10/24



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Deputy Conservator Of Forest, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@

क्रमांक / 728

दिनांक / 15/07/2024


सेवा मे:-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :-

Diversion of 0.1785 ha. of forest land for access permission for transportation of Mining area at Vill. Khanak under Forest Division and Distt. Bhiwani.
Proposal no. FP/HR/Approach/146575/2021.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि विषयांकित क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत बिना पूर्वानुमति के यूजर एजेंसी द्वारा वन भूमि के प्रयोग में दोषी कर्मचारियों 1. श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक के विरुद्ध वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार के पत्र क्रमांक 648 दिनांक 02.07.2024 द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 2016 के नियम-7(4बी0) के तहत आरोप पत्र का प्रारूप तैयार करके आपके कार्यालय में भेजा जा चुका है तथा 2. श्री अनिल कुमार, वन दरोगा के विरुद्ध वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार के पत्र क्रमांक 650 दिनांक 02.07.2024 द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 2016 के नियम-7(4बी0) के तहत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
भिवानी।

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी परिमण्डल,
हवाई अड्डा रोड, नजदीक गिल गेट, हिसार, हरियाणा 125001

दूरभाष/फैक्स नं० 01662-259489

email address-wstercl@yahoo.com

कमांक स्थापना/ 648
सेवा में.

दिनांक 02/07/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकुला ।

विषय :- आरोप पत्र विरुद्ध - श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक ।

0-0-0


उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, भिवानी ने उनके पत्र कमांक 649

दिनांक 14.06.2024 द्वारा खानक में माईनिंग एजेंसी द्वारा अवैध रूप रास्ते हेतु वन भूमि का प्रयोग करने पर माईनिंग एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही ना करने के लिये श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक के विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवा(दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7(4बी) के तहत आरोप पत्र प्रारूप अनुलग्नक सहित जारी करने हेतु भेजा है ।

अतः वन मण्डल अधिकारी द्वारा श्री जयपाल सिंह, उप वन राजिक के विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवा(दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7(4बी) के तहत आरोप पत्र प्रारूप अनुलग्नक सहित आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न भेजा जाता है ।

संलग्न/उपरोक्त

PCA
3/7/24



दिनांक:- 02/07/2024

एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, भिवानी को उनके पत्र कमांक 649 दिनांक 14.06.2024 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

[Signature]

वन संरक्षक
पश्चिमी, परिमण्डल, हरियाणा,
हिसार ।

0/07
[Signature]

[Signature]

वन संरक्षक
पश्चिमी परिमण्डल, हरियाणा,
हिसार ।

0/07
[Signature]

MEMORANDUM

No. _____

Dated _____

1. Shri Jaipal Deputy Ranger is hereby informed that it is proposed to take action against him under rule- 7 (4B) of Punishment & Appeal rule H.C.S. 2016 on the grounds set out in enclosed statement of Charges. The charges are based on the statement of allegations appointed the rate.
2. Shri Jaipal Deputy Ranger is hereby required to state in writing within a period of 15 days from the receipt of this memorandum by him whether he admits the truths of all or any. On the charges, what explanation or desires to be heard in person.
3. Shri Jaipal Deputy Ranger is hereby further informed that if for the purpose of preparing his written statement he wishes to have access to the relevant official's records he would inspect to same in the office of the DFO Bhiwani on any working day after making prior appointment with him. It is, however, pointed out that only such documents will be shown to him as are in the possession of the DFO Bhiwani and as are strict relevant to the case. If in the opinion of the competent authority it is not desirable in the public interest to allow him access to said documents, such access shall be refused. If Shri Jaipal Deputy Ranger wishes to consult any other relevant record, which is not in the custody of the DFO Bhiwani It is for him to undertake its inspection. It is, however, made clear to Shri Jaipal Deputy Ranger that his failure to inspect the documents shall not constitute a valid ground for delay in the submission of his written statement and if the written statement is not received by the undersigned within the specified period, it shall be presumed that he has none to submit.
4. The written statement should be submitted direct to the undersigned.
5. The receipt of this memorandum with enclosures may be acknowledged.

To,

Shri Jaipal

Through:- DFO, Nuh, Mewat

Punishing Authority

कर्मचारी का विवरण

नाम -	श्री जयपाल
पद -	सप वन राजिक
वेतनमान -	FUN-L 6
स्थान/अस्थान -	अस्थान

दण्डाधिकारी

अभिलेखों की सूची

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 25.01.2023
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 26.07.2023
3. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र क्रमांक 1584 दिनांक 11.08.2023
4. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र क्रमांक 1872 दिनांक 28.08.2023
5. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र क्रमांक 840 दिनांक 18.09.2023
6. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र क्रमांक 2513-15 दिनांक 19.10.2023
7. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र क्रमांक 2585-87 दिनांक 08.11.2023
8. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र क्रमांक 3086-87 दिनांक 01.01.2024
9. उप वन संरक्षक, भिवानी का पत्र क्रमांक 3379-80 दिनांक 01.02.2024

दण्डाधिकारी

आरोपों का सूची

1. माईनिंग कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गांव खानक में माईनिंग हेतु वन भूमि का प्रयोग करवाने बारे तथा पी0सी0 केस समय पर दायर ना करने बारे।
2. कर्तव्यों में कोताही।

दण्डाधिकारी



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Deputy Conservator Of Forest , Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक/ 869
सेवा में:

दिनांक/ 22/09/2023


अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकूला।

विषय: Diversion of 0.1785 ha. of Forest land for access permission for transportation of Mining area at Vill- Khanak under Forest Division and District Bhiwani, Haryana. Proposal no. FP/HR/App/146575/2021
सन्दर्भ: आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन- 10371/1607 दिनांक 22.9.2023

---000---

संदर्भाकित पत्र के सम्बन्ध में उपरोक्त विषय पर लगाई गई त्रुटि बारे आपको अवगत करवाया जाता है कि:-

1. उक्त रास्ते के उपयोग के लिए माईनिंग कम्पनी HSIIDC के विरुद्ध IFA,1927 के तहत Forest Offence Report (FOR) जारी कर दी गई है (प्रति संलग्न) तथा अभियोजन केस दायर करने बारे आगामी कार्यवाही की जा रही है।
2. उक्त अवैध रास्ते को बंद न करवाने बारे सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है (प्रति संलग्न)।


वन मण्डल अधिकारी,
भिवानी।

DRD No. 1175/2022



वन अपराध रिपोर्ट

वन विभाग, हरियाणा सरकार

0702

069

Book No. _____ FOR No. _____

दिनांक: 24/12/2022

स्थान: ...

विकास: ...

समय: ...

कारण: ...

परिणाम: ...

अधिकारी का नाम: ...

उम्र: ...

जाति: ...

पता: ...

क्र.सं.	नाम	उम्र	जाति	पता
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

...

...

...

...

सुसंरक्षित क्षेत्र विवरण

वन क्षेत्र पर जो जो क्षेत्रों को संरक्षित करना वनाभ्रण में सख्त विवरण दिया है

$$(1) 2 \times 20.5 \text{ m} \times 85 \text{ m} = 1742 \text{ SQM}$$

$$(2) 0.5 \times 20.5 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 3075 \text{ SQM}$$

$$(3) 2 \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 5 - 2 \left(\frac{1}{3} \times 7.07 \times 1.46 \right) \right)$$

$$= 25 - 13.76 = 11.24 \text{ SQM}$$

$$\text{Total} = 1785.49 \text{ SQM} = 0.1785 \text{ Hect}$$

D. S. Singh



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Deputy Conservator Of Forest , Bhiwani

Post Bag Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242436, e-mail: dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 1872

दिनांक / 28/08/2023

व्यक्तिगत / व्यक्तिगत
MIRJHET

विषय : खानफ में घन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे कारण बताओ नोटिस।
पत्र क्रमांक/23 का प्रत्य क्रमांक 4584 दिनांक 11.8.2023

खानफ में घन भूमि से अवैध रास्ता देने बारे कारण बताओ नोटिस का प्रमाण 03 दिन के आदेश-2 भेजने बारे लिखा गया था परंतु आप 03-14 दिन उपरोक्त भी इस बारे कोई भी जवाब एस कार्यालय में नहीं भेजा गया है। अतः इस बारे आपका ध्यान निर्देश दिए जाते हैं कि आपने विभिन्न आदेशों से कारणों में घन भूमि में से रास्ता देने की निषेध कर दी है। यह निषेध के लिए सरकारी विद्यालय के पास एक रास्ता बनाया गया है जो रास्ता जो मई में बनाया गया है। इस बारे आप अपने क्षेत्र के आदेशों को ध्यान में रखकर इनके बारे में उपरोक्त की गई है। इस बारे आप अपनी धारा 11/10/21 बिना किसी विलम्ब के इस कार्यालय में भेजें। अन्यथा कार्रवाई करें कि आपने अपनी दायिर्ग के प्रति लापरवाही कथा की है। इस बारे आप अपना जवाब इस दिनांक के अंशक 2 इस कार्यालय में भेजें। इसे अति आवश्यक समझे।

उप. नि. संरक्षक,
भिवाणी।

28/08/23